

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त०शि०/योजना-16/2019

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषय:-

बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works के निर्माण कार्य से संबंधित कुल रू० 20,00,00,000/- (रू० बीस करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works के निर्माण कार्य से संबंधित मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.03.2023 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विभागीय पत्रांक 23/योजना दिनांक 21.03.2023 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 100,33,82,300/- (रू० एक सौ करोड़ तैंतीस लाख बैयरासी हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works के निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40,00,00,000/- (रू० चालीस करोड़) मात्र की राशि विभागीय आवंटनादेश सं० 17/बजट दिनांक 21.12.2023 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20,00,00,000/- (रू० बीस करोड़) मात्र की राशि विभागीय आवंटनादेश सं० 10/बजट दिनांक 07.10.2024 के द्वारा विमुक्त की गई है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1546(नि०) दिनांक 26.06.2025 द्वारा उक्त राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराते हुए राशि की अधियाचना की गयी है जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

पत्रांक एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
आवंटनादेश सं० 17/बजट दिनांक 21.12.2023	40,00,00,000.00	57,60,11,782.00
आवंटनादेश सं० 10/बजट दिनांक 07.10.2024	20,00,00,000.00	

3. अतः बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works के निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 13/योजना दिनांक 22.08.2025 के आलोक में रू० 20,00,00,000/- (रू० बीस करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खान्नु संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

विपत्र कोड - 43S42020210506010545

7

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना-16/2019

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना-16/2019 - 12/अप्रै

/राँची, दिनांक- 22/08/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/बजट पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2TS/P-16/2019/12/BUDGET

दिनांक - 22-Aug-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 42020210506010545	55297	DRNSCT001	200,000,000.00
	4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 - तकनीकी शिक्षा		MANAUWAR ALAM	रुपये बीस करोड
	105 - इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान		U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	
	06 - तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण - इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलिटेक्निक / खानन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार			
	01-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण-जीर्णोद्धार.			
	05 - निर्माण		45 - निर्माण कार्य	
	State Scheme			
	State Scheme :		CONSTRUCTION - RENOVATION OF GOVERNMENT ENGG. COLLEGE, POLYTECHNICS,	
	Central Scheme :		TECHNICAL EDUCATION HUB AND OTHER INFRASTRUCTURE(0133)	

योग:

रुपये बीस करोड

200,000,000.00

क्रमिक योग:

(SUNIL KUMAR)

ADDITIONAL SECRETARY